बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य)
सं० सं०– म०/गो०शि०अरा०(अधी०)–05/2021 1675 मत्स्य/पटना, दिनांक : 23/08/2022

"अधिसूचना"

श्री इकबाल हुसैन, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी, नवादा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में नवादा जिला में मछुआ आवास निर्माण योजना एवं मत्स्य विपणन योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत श्री हुसैन को विभागीय अधिसूचना संख्या 1296 दिनांक 08.10.2021 द्वारा निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में श्री हुसैन का मुख्यालय मत्स्य निदेशालय पत्रांक 1321, दिनांक 21.10.2021 द्वारा मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर निर्धारित किया गया।

1. उक्त आरोपों के आलोक में श्री हुसैन से मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 29 दिनांक 18.01.2022 द्वारा प्रपत्र–'क' गठित करते हुए बचाव हेतु लिखित अभिकथन की माँग की गई। आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 04.02.2022 को अपने बचाव हेतु लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।
2. मत्स्य निदेशालय स्तर पर जाँच टीम गठित कर उक्त मामले की जाँच कराई गई। श्री हुसैन, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी, नवादा के दायित्वों/कर्तव्यों के निर्वहन के कम में वर्ष 2019–20 तक मछुआ आवास योजना हेतु लाभुकों के चयन तथा वर्ष 2020–21 में अति पिछड़ा जाति के लिए मत्स्य विपणन के तहत वाहन वितरण में कतिपय अनियमितता बरते जाने के संबंध में समीक्षोपरांत आरोप सही नहीं पाया गया। इस प्रकार, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।
3. उक्त के आलोक में श्री इकबाल हुसैन को निलंबन मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री इकबाल हुसैन, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी, नवादा को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उक्त आरोप से बरी किया जाता है। निलंबन मुक्ति के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में वे मत्स्य निदेशालय, पटना में अपना योगदान अविलंब समर्पित करेंगे।

Suman 22/08/22
(सुमन प्रसाद साह)
उप सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक : म०/गो०शि०अरा०(अधी०)–05/2021 ...1675...   मत्स्य/पटना/दिनांक : 23/08/2022

प्रतिलिपि : 1. श्री इकबाल हुसैन, तदेन् जिला मत्स्य पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र,मीठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. परिक्षेत्रीय उप मत्स्य निदेशक, सभी/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं अनुसचिवीय कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

24/08/22

उप सचिव